

# ORDER SHEET

II-155  
C.J.(E)

THE COURT

242 of  
2017 B.A

Date of  
order or  
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of  
Parties or  
Pleaders where  
necessary

01/07/2017  
03:30 To 03:45  
P.M

आवेदक/अभियुक्त अविनाश द्वारा श्री जी.एस. निगम अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।

थाना एण्डोरी से अपराध क्रमांक 23/2017 अंतर्गत धारा-326, 323, 394, 506 एवं 34 भा0द0सं0 की कैफियत व केस डायरी प्राप्त।

विचारण अधीनस्थ न्यायालय का मूल आपराधिक प्रकरण क0-274/2017 पुलिस एण्डोरी वि. रामभजन आदि का मूल अभिलेख भी प्राप्त।

आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0स0 के साथ आवेदक के पिता रामभजन का शपथपत्र पेश किया गया है, आवेदन एवं शपथपत्र में यह व्यक्त किया गया है, कि यह आवेदक रामभजन का प्रथम नियमित जमानत आवेदन है, इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदन समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है, न प्रस्तुत किया गया है और न ही निराकृत किया गया है। ऐसा ही केस डायरी से भी स्पष्ट है।

आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है, कि फरियादी की रिपोर्ट अनुसार आवेदक/अभियुक्त के द्वारा हंसिये की चोट पहुंचाये जाने से उसका गाल कटकर खून निकल आया, लेकिन उक्त चोट में दांत टूटने का उल्लेख नहीं है, ना कि किस प्रकार की चोट से दांत टूटा, ऐसा उल्लेख है, क्योंकि आवेदक के दांत पूर्व में गिर गये थे। नकल दांत लगवाया था। इस प्रकार अपराध धारा-326 भा. दं.वि0 की श्रेणी में नहीं आता है। इसके बाद भी आवेदक दि0-20/6/2017 से वर्तमान तक न्यायिक अभिरक्षा में है, सहअभियुक्त आकाश उसका सगा भाई है तथा रामभजन उसका पिता है, दोनों की अग्रिम जमानतें माननीय उच्च

न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। अन्य कोई आरोपी उक्त अपराध में नहीं है, अनुसंधान पूर्ण कर अभियोगपत्र जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में पेश किया जा चुका है। फरियादी दशरथसिंह आवेदक/अभियुक्त के परिवार का होकर रिश्ते में उसका ताऊ लगता है, सहअभियुक्त रामभजन की अग्रिम जमानत आवेदनपत्र की सुनवाई के समय अपनी अपनी सहमति देकर यह कहा कि उनका राजीनामा हो गया है और खरंजा पर गिरने से उसके होंठ में चोट आयी थी। उक्त आधारों पर नियमित जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से मौखिक रूप से विरोध किया गया और आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने पर स्पष्ट है, कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 05/03/17 को रात्रि 10:30 बजे के लगभग ग्राम आलौरी के पुरा में फरियादी दशरथ जाटव के द्वारा आवेदक रामभजन से उधारी के दस हजार रूपए मांगने पर रामभजन ने उसे अश्लील गालियां दीं एवं रामभजन ने उसे पकड़ लिया, तथा अविनाश उर्फ गुरुवचन ने उसे हंसिया मारा जो उसके होंठ पर लगा और जिससे उसका दांत टूट गया। आकाश ने उसे लाठियां मारीं, उक्त घटना की रिपोर्ट थाना एण्डोरी में की गई।

आवेदक/अभियुक्त अविनाश उर्फ गुरुवचन दि०-20/6/2017 से निरोध में है। उसके द्वारा हंसिया से वार करना बताया गया है, परंतु फरियादी दशरथसिंह के कोई कटा हुआ घाव नहीं पाया गया है, अपितु दांत टूटा है और सीने पर कन्टूजन है। सहअभियुक्त रामभजन व आकाश की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त अविनाश उर्फ गुरुवचन लगभग 11 दिवस से निरोध में है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। मामले की संपूर्ण परिस्थितियों तथा तथ्यों को देखते हुए एवं आवेदक के कृत्य को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त अविनाश उर्फ गुरुवचन को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदन स्वीकार किया गया। आदेशित किया जाता है कि, यदि आवेदक/अभियुक्त अविनाश उर्फ गुरुवचन की ओर से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड की संतुष्टि योग्य प्रत्येक की ओर से 50-50 हजार रूपये की दो सक्षम जमानतें एवं 50,000/-रूपये की राशि के व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत किये जावें तो उसे निम्न शर्तों पर जमानत रिहा किया जावे

:-

1. आवेदक विचारण न्यायालय में दी गई नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा।
  2. अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा और न ही साक्षियों को कोई प्रलोभन उत्प्रेरणा या धमकी देगा।
  3. फरार नहीं होगा।
  4. विचारण में सहयोग करेगा।
  5. विचारण के दौरान आवेदक/अभियुक्त समान अपराध कारित नहीं करेगा।
- इस आदेश की प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर पालनार्थ भेजी जावे।  
केस डायरी वापिस हो।  
प्रपत्र नतीजा दर्ज होने के बाद अभिलेखागार भेजे जावे।

(मोहम्मद अजहर)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड